न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 32/2023

1 धन्नाराम पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी पत्नी नेमीचन्द पुत्री भगवानाराम जाति जाट निवासी दुगोली तहसील धोद जिला सीकर।
2 छोटी देवी पत्नी भगवानाराम।
3 मन्नाराम पुत्र भगवानाराम।
4 सुरजाराम पुत्र भगवानाराम।
5 गणपतराम पुत्र भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर।
6 बिमला देवी पुत्री भगवानाराम पत्नी अर्जुनलाल जाति जाट निवासी भिराणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार महोदय सीकर।
8 नगर सुधार न्यास सीकर जरिये सचिव ।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय
दिनांक 03.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सीकर पीठासीन अधिकारी सुश्री गरिमा लाटा आर.ए.एस
दावा संख्या 107/2018 बउनवानी कमला देवी बनाम
छोटी देवी आदि दावा बाबत बंटवारा व स्थायी
निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 107/2018 में पारित निर्णय दिनांक 03.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1813/1 रकबा 0.0140 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1815/1 रकबा 0.2345 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.0485 हैक्टेयर ग्राम गोकुलपुरा तहसील व जिला सीकर में अवस्थित है। इस कृषि भूमि के सम्बंध

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बिना हक अधिकार व बिना कब्जे के ही गलत खातेदारी की आड़ में दिनांक 10.08.2018 को विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 ने कृषि भूमि मूल खसरा नम्बर 1 रकबा 0.52 हैक्टेयर एवं विभाजित खसरा नम्बर 1813/1 रकबा 0.0140 हैक्टेयर विभाजित खसरा न म्बर 1815/1 रकबा 0.2345 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 1.80 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 2.0485 हैक्टेयर के राजस्व रिकार्ड में 1/7 हिस्सा पर अपीलांट की बिना जानकारी के गलत रूप से नाम दर्ज करवा लिया। रेस्पोडेंट संख्या 1 का विवादित भूमियों पर ना तो कभी कब्जा रहा है और ना ही हक अधिकार रहा है। विवादित भूमि अपीलांट के पिता भगवाना ने अपने जीवनकाल में चारो पुत्रों के मध्य विभाजित कर दी गई जिन पर चारों अलग–अलग काश्त कर रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन का दावा पोषणीय नही था। अपीलांट व अन्य पक्षकारों की फर्जी तामील करवाई जाकर बिना साक्ष्य सबूत के प्रारम्भिक डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की रजिस्टर्ड तामील जारी करने का आदेश दिनांक 21.06.2022 को आदेशिका में जारी किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस 12.11.2022 को रजिस्ट्री करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 28.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विधि अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर एक माह का समय दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तामील के सन्दर्भ में विधिक प्रावधानों की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। अत अपीलांट ने अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2009–10 (SUPP.) पेज 485, आर.आर. टी. 2014(2) पेज 1157, आर.एल.डब्ल्यू 2009(1) आर.जे. पेज 387 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 एक ही पिता भागवानाराम की पत्नी, पुत्री व पुत्रगण वारिस है। विवादित भूमि पैतृक है। जिस पर रेस्पोडेंट 1 का हक अधिकार है। परिवार के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाने से सामलाती खातेदारी के रूप में कतई सम्भव नही है। इसलिय बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवारा करवाने के लिये विचारण न्यायालय में वाद पेश किया। विचारण न्यायालय ने सुनवाई हेतु नोटिस तामिल करवाकर विधिवत निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की रजिस्टर्ड तामील जारी करने का आदेश दिनांक 21.06.2022 को आदेशिका में जारी किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नोटिस 12.11.2022 को रजिस्ट्री करवाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व दिनांक 28.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विधि अनुसार रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने पर एक माह का समय दिया जाता है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने तामील के सन्दर्भ में विधिक प्रावधानों की पालना नही की गई है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाब देही का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 01.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर